संख्या–वे0आ0–2–395/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

**विषयः**– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) उप निदेशक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 8550–14600 (सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 10000–15200 (सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(2) सहायक अधिकारी के पद पर वर्तमान वेतनमान रू0 4000–6000 रू0 (सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 5000–8000 रू0 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(3) सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग में उपलब्ध सामान्य कोटि के पदों/संवर्गो पर वेतन समिति द्वारा पूर्व में दी गयी संस्तुतियॉ लागू होंगी।

(4) सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत स्थापित उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगत लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियाँ, प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के साथ दी जायेंगी।

(5) सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के अन्य किसी पद/संवर्ग के वेतनमान संशोधन/वेतन विसंगति का प्रस्ताव विशिष्ट रूप से समिति के संज्ञान में नहीं है।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( अजय अग्रवाल )
विशेष सचिव।

संख्या—वे0आ0—2—395(1)/दस—54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

( नरेन्द्र कुमार )
संयुक्त सचिव।